संख्या-613/2026/आई/1373258/23-1-26/005-23-1002(002)/271/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 23 जून, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से अलीगढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 19 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-22932/CE-HQ1/RSN5054/ALI/2026-27, दिनांक 19.06.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **अलीगढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 19 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 13,14,70,000/- (रूपये तेरह करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 अलीगढ़	हसनगढ़ से सढ़ा (दामोदर नगर) सम्पर्क मार्ग।	118 /2026/आई/1252972/23-1-26/001-23-	96.88 96.88 52.55 5.24 91.64	0.91	90.73	70.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			1002(002)/81/2026-दिनांक-26-02-2026				
2	नि.ख.-1 अलीगढ़	गोपी-विजयगढ़ मार्ग से नगला अचैत होते हुए बादरी तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	148.21 148.21 78.39 7.00 141.21	2.68	138.53	100.00
3	नि.ख.-1 अलीगढ़	नगला धीमर होते हुए नगला पतेल जाफरी पनेठी मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	232.96 232.96 121.73 8.50 224.46	3.47	220.99	90.00
4	नि.ख.-1 अलीगढ़	नौरंगाबाद छावनी-शहवाजपुर मार्ग से मूसेपुर जलाल मार्ग से सिद्धपीठ बाबा जाहरवीर धाम एवं पथवारी मंदिर होते हुए आगरा सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	152.02 152.02 79.13 5.54 146.48	2.74	143.74	72.00
5	नि.ख.-1 अलीगढ़	ग्राम हैबतपुर से नदरोई मार्ग का नवनिर्माण कार्य	271/2026/आई/1285128/23-1-26/001-23-1002(002)/163/2026-दिनांक-31-03-2026	116.65 116.65 55.55 5.00 111.65	0.30	111.35	80.00
6	प्रा.ख. अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में गनेशपुर गोविन्दपुर धर्मपुर मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	433 /2025/आई/1107729/23-1-25/003-23-1002(002)/179/2025 दिनांक 03.10.2025 -दिनांक-03-10-2025	1015.56 1015.56 329.99 200.07 815.49	399.15	416.34	120.00
7	प्रा.ख. हाथरस	जी0टी0 मार्ग (नया एन0एच0 34) किमी 183 टोली से कचौरा मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	434 /2025/आई/1107734/23-1-25/004-23-1002(002)/179/2025 दिनांक 03.10.2025 -दिनांक-03-10-2025	1011.95 1008.66 512.99 46.71 961.95	98.80	863.15	100.00
8	प्रा.ख. हाथरस	गांव टिकारी ब्लॉक सासनी मण्डल हाथरस जंक्शन से सैंगर नदी पर टीकारी के पुल से दाऊजी मन्दिर तक मतवारी होते हुए	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	442.09 442.09 212.47 25.00 417.09	1.37	415.72	90.00
9	प्रा.ख. एटा	बेवर फीडर नहर के प्रेमपुरा पुल से लेकर	118 /2026/आई/1252972/23-1-26/001-23-	75.36 73.37 46.69 9.09	0.80	63.48	22.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		शीलमपुरा तक मार्ग निर्माण	1002(002)/81/2026- दिनांक-26-02-2026	64.28			
10	प्रा.ख. एटा	जैथरा- दरयावगंज मार्ग से बांदूपुरा तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23- 1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	72.36 72.36 33.60 22.52 49.84	0.84	49.00	22.00
11	प्रा.ख. एटा	एटा निधौली कलाँ मार्ग से ककरावली तक मार्ग तक नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23- 1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	87.38 87.29 64.52 4.81 82.48	1.00	81.48	50.00
12	प्रा.ख. एटा	जिरसी नहर पुल से बम्बा की पटरी से भौजी की मढैया सम्पर्क मार्ग।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23- 1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	114.96 114.96 79.19 10.25 104.71	1.30	103.41	50.00
13	प्रा.ख. कासगंज	रामपुर मार्ग से सरसईनरू सरसई वन मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23- 1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	104.57 104.57 79.58 0.57 104.00	1.16	102.84	85.00
14	प्रा.ख. कासगंज	भगवन्तपुर पुल से भोजपुर इन्टर कालेज होते हुए सेवर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23- 1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	136.38 136.38 105.54 0.55 135.83	1.51	134.32	65.00
15	प्रा.ख. कासगंज	सलेमपुर पिंरोदा से नरायनपुर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23- 1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	48.06 48.06 35.77 0.19 47.87	0.53	47.34	44.90
16	प्रा.ख. कासगंज	खैरपुर मार्ग से लखेरा होते हुए मोहनी तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23- 1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	147.86 147.86 115.55 0.58 147.28	1.63	145.65	82.80
17	प्रा.ख. कासगंज	सलेमपुर लाला मार्ग से बम्बा की पटरी वांया सतपुरा मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23- 1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	43.78 43.78 21.36 0.11 43.67	0.49	43.18	41.00
18	प्रा.ख. कासगंज	खुर्रमपुर से निजामपुर तक नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23- 1002(002)/84/2026- दिनांक-27-02-2026	93.84 93.84 67.64 5.31 88.53	1.04	87.49	83.00
19	प्रा.ख. कासगंज	मोहनी नगला भीम मार्ग से सलेमपुर डाबर रोड तक नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-	58.70 58.70 37.56	0.43	50.30	47.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	7.97 50.73			
						कुल योग-	1314.70

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 13,14,70,000/- (रूपये तेरह करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

संख्या-613/2026/आई/1373258(1)/23-1-26/005-23-1002(002)/271/2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in